

फा.सं. 15/6/2022-सतर्कता

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
(सतर्कता अनुभाग)

तीसरा तल, जीवन दीप भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 1st नवंबर, 2023

सेवा में,

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

विषय: भारतीय स्टेट बैंक में अपर मुख्य सतर्कता अधिकारी (एडिशनल सीवीओ) के पद पर नियुक्ति के संबंध में

महोदया/महोदय,

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में प्रतिनियुक्ति के आधार पर निम्नानुसार 02 (दो) अपर मुख्य सतर्कता अधिकारी (एडिशनल सीवीओ) के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्रम सं.	बैंक का नाम	तैनात किए जाने वाले अपर सीवीओ की सं.	स्थान
1.		01	नई दिल्ली
2.	भारतीय स्टेट बैंक	01	कोलकाता

2. ब्यौरा निम्न पैराग्राफ में दिया गया है।

3. कार्यकाल:

अपर सीवीओ की प्रतिनियुक्ति 3 वर्ष की अवधि या अधिवर्षिता की आयु पूरा होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए की जाएगी।

4. अपर सीवीओ के लिए वेतनमान/अनुज्ञेय परिलिंग्धियां:

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अपर सीवीओ के रूप में चयनित अधिकारी अपने मूल संगठन में अपने मौजूदा वेतन और उस पर अपने मूल वेतन के 10% के समतुल्य प्रतिनियुक्ति भत्ता आहरित करेंगे। वे अपनी तैनाती के संगठन में अगले उच्चतर पद हेतु अनुज्ञेय परिलिंग्धियों के लिए भी पात्र होंगे।

5. पात्रता:

- (क) भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कार्यरत उप महाप्रबंधक (डीजीएम) स्तर के अधिकारी (जिन्हें डीजीएम के स्तर पर सतर्कता/क्रण संबंधी 02 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो), जिनकी कम से कम 03 वर्ष की सेवा शेष हो, वे उपर्युक्त पद हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे।
- (ख) अभ्यर्थी को बड़े मूल्य के अग्रिमों के संबंध में कार्रवाई करने का अपेक्षित अनुभव हो तथा उसे अन्य वर्टिकल में भी पर्याप्त अनुभव हो।

6. चयन प्रक्रिया:

इन पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा अभ्यर्थियों का चयन उनके सेवा अभिलेखों तथा चयन समिति के साथ बातचीत के आधार पर सीवीसी के परामर्श से किया जाएगा।

7. विकल्प का प्रयोग:

अभ्यर्थियों को उपर्युक्त पैरा 1 में तालिका में सूचीबद्ध पदों के लिए आवेदन करते समय स्थान संबंधी अपने विकल्प और प्राथमिकता क्रम का उल्लेख करना चाहिए। अभ्यर्थियों को यथासंभव उनकी मेधा सह प्राथमिकता के आधार पर पदस्थापित किया जाएगा। तथापि, इस मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास रहेगा।

8. आवेदनों को अग्रेषित करना:

संबंधित संगठनों से अनुरोध किया जाता है कि वे इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदनों/नाम को संलग्न प्रारूप में उनके पूर्ण जीवन-वृत्त और विगत पांच वर्ष की उनकी वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) अर्थात् 2017-18 से 2021-22 तक की प्रमाणित प्रतियों (सभी तरह से पूर्ण) के साथ दिनांक **24.11.2023** (शुक्रवार) को या इससे पहले इस विभाग को प्रेषित कर दें। इसके अलावा, इच्छुक अभ्यर्थियों का नाम भेजते हुए, यह सुनिश्चित किया जाए कि:

- (क) इस कार्यभार को स्वीकार करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की सेवा कम से कम 03 वर्ष के लिए उपलब्ध करायी जा सके;
- (ख) आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख (अर्थात् दिनांक **24.11.2023**) की स्थिति के अनुसार अभ्यर्थियों की कम से कम 03 वर्ष की सेवा शेष होनी चाहिए;
- (ग) अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता का कोई मामला लंबित नहीं होना चाहिए;
- (घ) वे अधिकारी, जो विवर्जित अवधि के तहत हों, के नाम न भेजे जाएं।
- (ड.) वे अधिकारी, जिनके कैरियर के दौरान अनुशासनात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप उनके विरुद्ध कोई छोटी अथवा बड़ी शास्ति लगायी गई हो, अपर सीवीओ के पद हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं हैं और इसलिए उनके आवेदन को अग्रेषित न किया जाए।

9. इन पदों के लिए अभ्यर्थी का नाम एक बार भेजे जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में उसे वापस लिए जाने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए, विचारार्थ नाम भेजते समय आवेदकों से यह शपथ पत्र लिया जाए कि एक बार अपर सीबीओ के पद के लिए नामित किए जाने का निर्णय लिए जाने के बाद वे किसी भी परिस्थिति में अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं लेंगे। इन पदों के लिए आवेदन अग्रेषित करते समय अपेक्षित अन्य दस्तावेजों के साथ इस शपथ पत्र की प्रति भी संलग्न की जाए।

10. इनमें से किसी भी पद पर संबंधित अधिकारी का चयन किए जाने पर, अपर सीबीओ के नए पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन सप्ताह का समय दिया जाएगा। तीन सप्ताह के पश्चात कोई उत्तर प्राप्त न होने पर, या दी गई तारीख तक इस कार्यभार हेतु निर्धारित स्थान पर रिपोर्ट न करने पर उक्त अधिकारी के मूल संगठन के द्वारा संबंधित अधिकारी को सूचित करते हुए किसी भी संगठन में उनकी प्रतिनियुक्ति पर 05 वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आवेदन का प्रपत्र अनुबंध [फार्म 1, 2, 3] में दिया गया है।

11. इच्छुक अधिकारी इस संबंध में सूचना देने के लिए अपने आवेदन की अग्रिम प्रति vigilance-dfs@nic.in पर ई-मेल के द्वारा वित्तीय सेवाएं विभाग को भेज सकते हैं। तथापि, अधिकारिक चैनल के माध्यम से आवेदन की प्रति प्राप्त होने पर ही उनकी अभ्यर्थिता पर विचार किया जाएगा।

भवदीय,

संलग्न: निर्धारित फार्म (03 संख्या)

Sanjay Kumar Jha
(संजय कुमार झा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23748709
ईमेल: vigilance-dfs@nic.in

प्रतिलिपि: निदेशक/एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र की प्रति वित्तीय सेवाएं विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाए।

भारतीय स्टेट बैंक में अपर मुख्य सतर्कता अधिकारियों (अपर सीवीओ) के पद पर नियुक्तिआवेदन प्रपत्र

फोटोग्राफ

1.	आवेदक का नाम			
2.	जन्म तिथि			
3.	आवेदन की अंतिम तिथि को आयु			
4.	अधिवर्षिता की तिथि			
5.	वर्तमान धारित पद			
6.	संगठन का नाम जहाँ तैनात हैं			
7.	वर्तमान वेतन और वेतनमान			
8.	शैक्षिक और पेशेवर अर्हताओं का विवरण (कालक्रमानुसार)		कृपया अनुबंध लगाएं।	
	वर्ष से	वर्ष तक	पाठ्यक्रम का नाम	बोर्ड/ कालेज/ विश्वविद्यालय/ संस्थान
9.	नियमित सेवा के वर्ष			
10.	पिछले दस वर्ष का कार्यानुभव (कृपया अनुबंध लगाएं)			
	क्रम सं.	नियमित आधार पर	से तक	दायित्वों का स्वरूप
		धारित पद		सतर्कता /अनुशासनात्मक मामलों में अनुभव
11.	डाक का पता	स्थायी: वर्तमान: व्यक्तिगत संपर्क संख्या और ई मेल आईडी		
12.	आवेदक से प्रमाण पत्र: मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि आवेदन फॉर्म में मेरे द्वारा दिया गया व्यौरा मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और यह कि मैं इस प्रतिनियुक्ति पद के लिए पात्र हूँ। तिथि: स्थान :			
13.	आवेदक का हस्ताक्षर नियोक्ता से प्रमाण पत्र: यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्रीद्वारा प्रस्तुत व्यौरे की जांच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है और यह कि उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न तो लंबित है, न ही विचाराधीन है। आवेदक की सत्यनिष्ठा प्रमाणित है। अग्रेषित करने वाले सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम और कार्यालय की मुहर			
तिथि :	दरभाष सं:			
स्थान:	ईमेल आईडी :			

भारतीय स्टेट बैंक में अपर मुख्य सतर्कता अधिकारियों (अपर सीवीओ) के पद पर नियुक्तिवरीयता क्रम और वचन- पत्र

1	आवेदनकर्ता का नाम	
2	जन्म तिथि	
3	अपर मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद का वरीयता क्रम *विकल्प हैं—नई दिल्ली, कोलकाता	
	वरीयता 1	
	वरीयता 2	
4	<u>आवेदक द्वारा वचन पत्र</u> भारत सरकार (वित्तीय सेवाएं विभाग) के दिनांक 01.11.2023 के पत्र संख्या 15/6/2022- सतर्कता के उत्तर में मैंने भारतीय स्टेट बैंक में अपर सीवीओ के पद के लिए आवेदन किया है। मैं एतद्वारा यह वचन पत्र प्रस्तुत करता/करती हूँ कि मैं उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपने नामांकन/चयन के पश्चात् उम्मीदवारी से संबंधित अपना आवेदन वापस नहीं लूँगा/लूँगी। तिथि: हस्ताक्षर : स्थान: नाम :	
5	<u>मूल संगठन द्वारा अग्रेषण</u> श्री/श्रीमती/सुश्री..... पदनाम....., जिन्होंने भारतीय स्टेट बैंक में अपर सीवीओ के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है, द्वारा प्रस्तुत आवेदन और वेचन पत्र को उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग को अग्रेषित किया जाता है। अग्रेषित करने वाले सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और कार्यालय की मुहर	
	तिथि:	दरभाष सं. :-
	स्थान:	ईमेल आईडी:

भारतीय स्टेट बैंक में अपर मुख्य सतर्कता अधिकारियों (अपर सीवीओ) के पद पर नियुक्ति
संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी/मूल कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला ब्यौरा

i.	अधिकारी का नाम और पदनाम:	
ii.	क्या आज की तारीख तक अधिकारी के करियर के दौरान उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है। यदि हाँ, तो क्या इसमें सतर्कता से संबंधित मामला शामिल है और क्या कोई शास्ति लगाई गई है और जारी शास्ति और उससे संबंधित ब्यौरे।	
iii.	क्या अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार सहित कोई शिकायत अधिकारी के खिलाफ लंबित है, जो राज्य सरकार/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी की दृष्टि में आज की तारीख में अधिकारी की सतर्कता स्थिति/उसकी सत्यनिष्ठा पर प्रत्यक्ष प्रभाव/प्रासंगिकता रखता है। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा दें।	
iv.	क्या अधिकारी के विरुद्ध कोई प्रारंभिक जांच या सतर्कता संबंधी कोई अन्य मामला लंबित है। यदि हाँ, तो लंबित मामले का पूरा ब्यौरा दें।	
v.	क्या अधिकारी के अब तक के करियर के दौरान उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही दर्ज की गई थी। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा/वर्तमान स्थिति और अंतिम परिणाम का विवरण दें।	
vi.	क्या अधिकारी का नाम सहमत सूची या संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची में है। यदि हाँ, तो पूरा ब्यौरा दिया जाए।	
vii.	क) क्या अधिकारी सतर्कता की दृष्टि से दोषमुक्त है ख) सत्यनिष्ठा प्रमाणित है या नहीं	
viii.	क) क्या अधिकारी को कभी प्रतिनियुक्ति से वंचित किया गया है? बी) यदि हाँ, तो वंचित होने की अवधि	
ix.	उम्मीदवार का एपीएआर/एसीआर:	
क)	एपीएआर/एसीआर 2021-22 तक पूर्ण हैं?	हाँ/नहीं
ख)	किसी भी वर्ष का एपीएआर/एसीआर (पिछले 05 वर्षों में) उपलब्ध नहीं है	
ग)	एसीआर/एपीएआर(ओं) में प्रतिकूल प्रविष्टियां (निकाली गई/नहीं निकाली गई), यदि कोई हो? यदि हाँ, तो उसका वर्ष-वार ब्यौरा (कृपया अनुबंध लगाए।)	हाँ / नहीं
घ)	पिछले 05 वर्षों की एसीआर ग्रेडिंग	वर्ष / अवधि
		ग्रेडिंग (100 में से)
		2017-18
		2018-19
		2019-20
		2020-21
		2021-22
x.	संलग्नकों की सूची	
इस प्रोफार्मा को प्रमाणित करने वाले सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर नाम और पदनाम वाली आधिकारिक मुहर		